न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद विविध :: 09/2018 ::

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीः—

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली

मुकेशकुमार खटीक पुत्र कैलाशचंद खटीक, निवासी बाबा रामदेव कॉलोनी, पाली हाल मालिक मै. पूजा हार्डवेयर, बाबा रामदेव कॉलोनी, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री प्यारे खान

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक : 23-10-18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मै. पूजा हार्डवेयर, बाबा रामदेव कॉलोनी, पाली, जिला पाली (राज.) वक्त निरीक्षण दिनांक 10.04.2018 को मौके पर 3 एच.पी. कम्पनी घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें दो खाली व एक में 14.100 किग्रा गैस भरी हुई, 3 छोटे अप्रमाणिक गैस सिलेण्डर पेट्रो मेक्स (5 किग्रा) एवं एक गैस रिफिलींग पाईप व रिफिलींग वॉल बांसुरी का अवैध संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 10.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु वह मय जिला रसद अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) के साथ पाली शहर स्थित मै. पूजा हार्डवेयर, बाबा रामदेव कॉलोनी, पाली पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार पुत्र कैलाश चंद उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही फर्म का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान सुमन पुत्री मोहनराज निवासी रतनगढ़, चुरू एवं अनिता पुत्री राकेश कुमार निवासी झुंझनु की उपस्थिति में फर्म की जांच करने पर 3 एच.पी. कम्पनी घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें दो खाली व एक में 14.100 किग्रा गैस भरी हुई, 3 छोटे अप्रमाणिक गैस सिलेण्डर पेट्रो मेक्स (5 किग्रा) एवं एक गैस रिफिलींग पाईप व रिफिलींग वॉल बांसुरी पायी गयी। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स बी.के. एन्टरप्राईजेज, पाली के प्रतिनिधी से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री पवनकुमार पुत्र गोपाराम, निवासी 187, महाराणा प्रताप नगर, पाली हाल गोदाम कीपर मैसर्स बी.के. एन्टरप्राईजेज, पाली को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर व अवैध रिफिलिंग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा तीन एच. पी. घरेलु गैस सिलेण्डर जिनमें एक में उपरोक्तानुसार

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

गैस विद्यमान है, तीन छोटे अप्रमाणिक गैस सिलेण्डर (5 किग्रा) एवं एक गैस रिफिलींग पाईप व रिफिलींग की वॉल बांसुरी को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब एवं वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की दुकान से जब्त सिलेण्डर उसने न होकर आस–पास रहने वाले लोगों के है, जो गैस वितरण करने वाले उसकी दुकान के बाहर रख कर गए थे तथा अप्रार्थी अवैध गैस रिफिलींग का कार्य नहीं करता है न ही उसे अवैध घरेलू गैस बेचाण करते हुए पकड़ा गया है। अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन नहीं किया है तथा न ही उसके विरूद्ध उक्त धारा में कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जब्त सुदा सामग्री के संबंध में विनम्र भाव रखते हुए सिलेण्डर रिलीज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 3 एच.पी. कम्पनी घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें दो खाली व एक में 14.100 किग्रा गैस भरी हुई, 3 छोटे अप्रमाणिक गैस सिलेण्डर पेट्रो मेक्स (5 किग्रा) एवं एक गैस रिफिलींग पाईप व रिफिलींग की वॉल बांसुरी उनके व्यावसायिक परिसर मै. पूजा हार्डवेयर, बाबा रामदेव कॉलोनी, पाली (राज.) में पाये गये। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष वक्त निरीक्षण या अपने जवाब के साथ पेश नहीं किए गए। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की दूकान से प्राप्त सिलेण्डर उसके घरेलू उपयोग के नहीं है तथा अप्रार्थी उनका उपयोग जब्त सुदा अवैध रिफिलींग नली से दुसरे सिलेण्डर में भरकर अवैध रूप से गैस का व्यवासय करता था, जो जब्तसुदा नली से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया है, लेकिन उनके द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करया है या नहीं। न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जब्तसुदा माल को ही निस्तारण करना है। इसलिए आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ या नहीं, इसकी जांच आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत नहीं की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से 3 एच.पी. कम्पनी घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें दो खाली व एक में 14.100 किग्रा गैस भरी हुई, 3 छोटे अप्रमाणिक गैस सिलेण्डर पेट्रो मेक्स (5 किग्रा) एवं एक गैस रिफिलींग पाईप व रिफिलींग की वॉल बांसुरी को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर 3 एच.पी. कम्पनी घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें दो खाली व एक में 14.100 किग्रा गैस भरी हुई, 3 छोटे अप्रमाणिक गैस सिलेण्डर पेट्रो मेक्स (5 किग्रा) एवं एक गैस रिफिलींग पाईप व रिफिलींग की वॉल बांसुरी पायी गयी को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को तथा एक रिफिलींग नली को नीलाम कर उससे प्राप्त समस्त राशि राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 23/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर पाली (राज.)